न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० न्यायालय संख्या–02, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–1084/2024

उ०प्र० राज्य –बनाम– राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस आदि

मु०अ०सं०–415/2023
धारा–498 ए, 304 बी, 120 बी, 328 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

<u>दिनांक–16.10.2025</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र कागज सं० 36 अ/1 लगायत 36 अ/2 दिनांकित 03.10.2025 अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० व आपत्ति दिनांकित 14.10.2025 पर सुना जा चुका है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम सामियाना थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर का निवासी है। वादी मुकदमा ने अपनी बेटी सारिका (अस्था) की शादी दिनांक 22 फरवरी 2023 को राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम किर्तीखेड़ा थाना ललौली जिला फतेहपुर हाल मुकाम राजकीय महिला डिग्री कालेज के सामने सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर जिला फतेहपुर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार था। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री की शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार 22 लाख रूपये नकद व 10 लाख रूपये का सामान व 15 लाख रूपये मूल्य की ज्वलेरी आदि देकर शादी सम्पन्न किया था। राघवेन्द्र सिंह की ज्वाइन्ट फैमिली है, जिसमें चाचा तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह व चाची श्रीमती विजयश्री को बतौर माता–पिता बताकर शादी के कार्डों में नाम छपवाया था तथा वादी मुकदमा को भी कार्ड में उक्त दोनों लोगों के नाम माता–पिता की जगह कार्ड में छपवाने हेतु कहा था। वादी मुकदमा ने राघवेन्द्र सिंह के पिता दिनेश सिंह से उक्त बात बतायी थी तब उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्हीं का नाम लिखवा दो उन्हीं को माता–पिता मानता है। वादी मुकदमा की बेटी आस्था जब चौथी में विदा होकर वापस मायके आयी तब वादी मुकदमा से बताया कि ससुरालीजन दिये गये दान–दहेज से संतुष्ट नहीं है। वादी मुकदमा की पुत्री आस्था से ससुरालीजनों में राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस (पति) तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह (चाचा) वैवाहिक कार्डानुसार पिता तथा श्रीमती विजयश्री (चाची) वैवाहिक कार्डानुसार माता ने एकराय होकर अतिरिक्त दहेज के रूप में फारचूनर कार के लिये दबाव डाला, जिस पर वादी मुकदमा ने बेटी आस्था को समझाया कि हम बात कर लेंगे। वादी मुकदमा ने तेजबहादुर सिंह के घर जाकर बात की, जिस पर दामाद राघवेन्द्र सिंह को तेजबहादुर सिंह ने डांटा और वादी मुकदमा से कहा कि अब ऐसी कोई गलती न होगी। वादी मुकदमा ने पुनः

Digitally signed by AJAY SINGH
Date: 2025.10.17 13:59:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपनी पुत्री की विदाई राघवेन्द्र सिंह (पति) के साथ कर दी, परन्तु वादी मुकदमा की बेटी ने पुनः फोन करके बताया कि राघवेन्द्र सिंह (पति) रोजाना फारचूनर कार की अतिरिक्त दहेज की मांग के लिये मारपीट व प्रताडित करता है फिर वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री को घर बुला लिया। वादी मुकदमा की मृत्यु के 10 दिन पूर्व वादी मुकदमा ने ससुरालीजनों को समझाया बुझाया फिर दिनांक 02.06.2023 को राघवेन्द्र सिंह (पति) के साथ विदा कर दिया। वादी मुकदमा की बड़ी पुत्री के देवर के गोद भराई कार्यक्रम कौशाम्बी जिले में दिनांक 04.06.2023 को होनी थी, जिसमें वादी मुकदमा की बेटी आस्था व दामाद राघवेन्द्र सिंह तथा वादी मुकदमा अपने पूरे परिवार के साथ उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहा। कार्यक्रम में भी मेरी बेटी आस्था से राघवेन्द्र सिंह लड़ने झगड़ने लगा, फिर किसी तरह शान्त हुआ और कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी से फतेहपुर के लिये चला तो वादी मुकदमा ने अपनी बड़ी बेटी दीक्षा को भी राघवेन्द्र सिंह की कार में बैठा दिया, फिर राघवेन्द्र सिंह ने फतेहपुर आकर दीक्षा को उसके आवास रानी कालोनी में लगभग 12.35 रात्रि बजे घर छोड़कर अपने घर सिविल लाइन चला गया। उसी रात दिनांक 05.06.2023 को समय लगभग रात्रि 01.33 बजे वादी मुकदमा की पुत्री आस्था ने अपनी बड़ी बहन दीक्षा के मोबाइल नं० 9264959775 में अपने आस्था मोबाइल नं० 8795779578 से फोन कर रोकर बताना चाहा कि फोन कट गया, फिर फोन दुबारा किया और कहा कि पापा को जल्दी से बुला दो और कहा कि उक्त तीनों लोग (राघवेन्द्र सिंह, तेजबहादुर सिंह व श्रीमती विजयश्री) साजिश व षडयंत्र के तहत अप्राकृतिक तरीके से कुछ बदबूदार पदार्थ खिला दिया है। तबियत बेचैन हो रही है। पति राघवेन्द्र ने मुझे जबरन पकड़कर खिलाया है। तब वादी मुकदमा की बड़ी पुत्री दीक्षा ने फोन से उक्त घटना की सूचना वादी मुकदमा को दिया। तब वादी मुकदमा ने राघवेन्द्र सिंह सहित सभी लोगों से फोन द्वारा बात करना चाहा तो किसी ने फोन नहीं उठाया तब वादी मुकदमा अविलम्ब गांव से सदर अस्पताल फतेहपुर पहुंचा तो वहां मेरी बड़ी बेटी दीक्षा परिवार सहित मौजूद थी। वादी मुकदमा की पुत्री आस्था के मुंह से बदबूदार झांक निकल रहा था, डाक्टरों ने नली डालकर पेट से झांक निकाला, किन्तु आस्था की हालत नाजुक देखते हुये कानपुर के लिये रिफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय मलवां के पास रास्ते में मृत्यु हो गयी। तब वादी मुकदमा पुनः अपने परिवारीजनों को उक्त घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया और थाना कोतवाली फतेहपुर में संदिग्ध मौत के सम्बन्ध में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु लिखित सूचना दिया। वादी मुकदमा का मांशिक स्थिति अत्यन्त दुखी होने के कारण ठीक नहीं थी इस कारण सूचना में विलम्ब हुआ है। वादी मुकदमा द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण वादी मुकदमा की पुत्री आस्था (सारिका) को साजिशन षडयंत्र के तहत अप्राकृतिक तरीके से उक्त लोगों ने मार डाला है। उक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह गौतम की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की ओर से योजित तहरीर पर प्राथमिकी थाना कोतवाली में पुलिस के उच्चाधिकारियों के समक्ष बारम्बार प्रयास करने के पश्चात कई दिवसों बाद पंजीकृत की गयी। प्रदर्श क–1 के अवलोकन से सम्पूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित होते हैं, जिसमें उपरोक्त वर्णित अपराध की धाराओं के अवयव पाये जाने पर अपराध की उपरोक्त धाराओं में दिनांक 15.06.2023 को प्राथमिकी पंजीकृत हुई। प्राथमिकी में मामले में वर्तमान सत्र परीक्षण में अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह के अतिरिक्त अभियुक्तगण के रूप में राघवेन्द्र के चाचा तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह तथा चाची श्रीमती विजयश्री भी अभियुक्त के रूप में अंकित है। विवेचनाकाल के पूर्व से ही प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तगण तेजबहादुर व उनकी पत्नी श्रीमती विजयश्री ने विवेचक को अपने प्रभाव में ले लिया, जिस पर विवेचक व पुलिस अधीक्षक फतेहपुर भी सुलह कर लेने का दबाव डालते रहे। प्रार्थी प्रथम सूचक ने पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायतें दी तथा सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष भी कई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2023 व दिनांक 15.09.2023 को योजित कर मामले की विवेचना डायरी आहूत कर मानीटरिंग किये जाने व आवश्यकतानुसार समुचित विधि अनुरूप निर्देश की याचना की थी। दिनांक 31.07.2023 तक मामले की प्रथम विवेचक ने विवेचना की। प्रथम विवेचक ने अपनी विवेचना के अन्तिम पर्चे में प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त प्राथमिकी क्रमशः क्रमांक 2 व 3 तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह पुत्र स्व० धूनी सिंह तथा श्रीमती विजयश्री पत्नी तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह के विरूद्ध नामजदगी गलत पाया जाना अंकित करते हुये विवेचना से उनके नाम पृथक किया जाना भी अंकित कर दिया। पश्चात् में विवेचक ने भी सत्यता की खोज न कर उसी भांति स्वविवेचना काल में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध में विवेचनोपरान्त मात्र एक अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस के विरूद्ध आरोप पत्र तथा दो अन्य उपरोक्त नामजद अभियुक्त प्राथमिकी तेजबहादुर सिंह तथा श्रीमती विजयश्री के विरूद्ध अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 प्रेषित किया, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा माह फरवरी वर्ष 2024 में संज्ञान लिया गया। मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किये जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रं०–2, फतेहपुर द्वारा आरोप विरचित किये जाने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से दो साक्षी क्रमशः प्रथम सूचक/पिता मृतिका आस्था उर्फ सारिका सिंह के पिता योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह तथा मृतिका की बड़ी बहन दीक्षा सिंह रूबरू न्यायालय परीक्षित होकर अपनी साक्ष्य दी है। उभय साक्षीगण अभियोजन उपरोक्त ने न्यायालय के समक्ष दी गयी अपनी साक्ष्य में प्राथमिकी में नामित तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग व मृतिका आस्था सिंह को प्रताड़ित किये जाने सहित उसे विषैला पदार्थ खिलाकर मृत्यु कारित किये जाने की स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है। इस भांति प्राथमिकी में नामजद तीनों

अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराधों के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य है, जिससे वह सभी मामले के सम्बन्ध में अपराध के दोषी प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा विवेचनाकाल में अपराध में संलिप्त न पाये गये। उभय अभियुक्तगण तेजबहादुर सिंह तथा श्रीमती विजयीश्री का भी विचारण, मामले में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ किया जा सकता है। विवेचक द्वारा प्रेषित विवेचना परिणाम अन्तर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मामले की घटना में शामिल न किये गये अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह तथा श्रीमती विजयश्री को मामले के विचारण का सामना किये जाने हेतु आहूत करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्तिकर्ता राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स की ओर से आपत्ति दिनांकित 14.10.25 प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/प्रार्थिनी को पूर्ण रूप से गलत तथ्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त बना दिया गया था। विवेचक द्वारा बहुत ही गम्भीरता पूर्वक मामले की विवेचना करने के उपरान्त पाया कि प्रार्थी/प्रार्थिनी किसी भी दशा में उपरोक्त मामले से संलिप्त नहीं रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में स्पष्ट रूप से जो साक्ष्य संकलित की गयी है उसके अनुसार पर्चा नं० 26 में विवेचक वीर सिंह ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि आरोपी राम बहादुर सिंह उर्फ तेज बहादुर सिंह पुत्र स्व० धूनी सिंह कुल तीन भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े भाई दुर्ग विजय सिंह जिनके कोई संतान नहीं है एवं दुर्गविजय सिंह महिला डिग्री कालेज के पास अपना निजी माकान बनवाकर रहते हैं साथ ही दुर्गविजय सिंह का अपना खुद का व्यापार है चलने के लिये दुर्गविजय सिंह के नाम पर आदि हैं। दुर्गविजय सिंह अपनी पत्नी कांती सिंह के पास अलग मकान में रहते हैं, अपने मकान के विद्युत बिल भी भरती हैं एवं अपना आई०टी०आर० भी स्वयं भरते हैं। आरोपी तेज बहादुर सिंह के दूसरे भाई दिनेश हैं जो कि ग्राम कीर्तीखेड़ा थाना ललौली जनपद फतेहपुर में ही अपने पैत्रक मकान में अपनी पत्नी मीना सिंह एवं पुत्र प्रिन्स सिंह के साथ में रहते हैं, दिनेश सिंह का व्यापार भी अलग है, साथ ही दिनेश सिंह गांव में ही अपने दोनों भाइयों से अलग अपना मकान बनवाकर अपनी पत्नी एवं पुत्र राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स के साथ रहते हैं एवं दिनेश सिंह के पास भी खुद के कई वाहन हैं और तेज बहादुर सिंह का भी आवंतीबाई चौराहे के पास खुद का ही आलीशान बंगला बना हुआ है, जिसमें तेजबहादुर सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती विजयश्री रहते हैं। तेजबहादुर सिंह के कुल तीन लड़कियां हैं, जिनमें दो की शादी हो चुकी है एवं तीसरी लड़की दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है। तेजबहादुर सिंह का भी अपना सारा व्यापार अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग है, तेजबहादुर सिंह के नाम भी कई वाहन हैं। तेजबहादुर सिंह राजनैतिक व्यक्ति है, तेजबहादुर सिंह एवं रामबहादुर सिंह के द्वारा 2017 में बसपा के टिकट से विधान सभा का चुनाव भी लड़ा गया है। राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स की शादी में तेजबहादुर सिंह उनके भाई दुर्गविजय सिंह एवं दिनेश सिंह के द्वारा अपने–अपने नाम से अलग–अलग

कार्ड छपवाये गये थे एवं सभी ने प्रिन्स को अपने पुत्र के रूप में ही शादी के कार्ड में अंकित कराया था तथा सभी भाइयों ने अपने–अपने व्यवहारियों को अपने–अपने नाम से कार्ड दिया था। तेजबहादुर सिंह राननैतिक व्यक्ति है एवं मुन्ना सिंह भी राजनीति करते हैं मुन्ना सिंह के द्वारा अपना राजनैतिक दायरा बढ़ाने के लिये शादी के कार्ड में तेजबहादुर सिंह एवं विजयश्री का नाम अंकित कराया गया था। शादी के बाद वादी की पुत्री आस्था सिंह अपने ससुराल ग्राम कीर्तीखेड़ा थाना ललौली फतेहपुर ही गयी थी एवं वहीं पर अपने पति राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स एवं सास मीना सिंह व अपने ससुर दिनेश सिंह के साथ ही रही थी। तेजबहादुर सिंह एवं उनकी पत्नी कभी भी कीर्तीखेड़ा नहीं गये। विवेचना के क्रम में स्वतन्त्र गवाहान से यह बात पता चली कि शादी के पूर्व से एवं शादी के बाद भी मृतिका आस्था सिंह अपनी बड़ी बहन दीक्षा सिंह के देवर अभय सिंह से बातचीत किया करती थी, उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी, किन्तु वादी मुकदमा योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने जानबूझकर दिनेश सिंह की करोड़ो की सम्पत्ति को देखकर जिसका आरोपी प्रिन्स अकेला वारिस है, प्रिन्स के साथ आस्था की शादी बिना अपनी पुत्री के मर्जी के कर दिया। सी०डी०आर० से भी स्पष्ट है कि लम्बी वार्ता अभय सिंह और मृतिका के बीच में शादी के बाद व शादी के पहले होती रही। विवेचक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतिका आस्था सिंह शादी के बाद अपने पति प्रिन्स के साथ अपने सास एवं ससुर के पास ग्राम कीर्तीखेड़ा थाना ललौली जनपद फतेहपुर ही रहने के लिये गये थे, वहीं से चौथी के दिन मुन्ना सिंह के द्वारा अपनी पुत्री आस्था सिंह को विदा कराकर अपने साथ ले जाया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटनास्थल महिला डिग्री कालेज के सामने महिला डिग्री कालेज के सामने बना मकान आरोपी प्रिन्स के दादा दुर्गविजय सिंह के नाम से है एवं उक्त मकान में दुर्गविजय सिंह अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं। उक्त दोनों के कोई संतान नहीं है। देजबहादुर सिंह आरोपी राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स के चाचा हैं जो कि अपने निजी मकान आवन्तीबाई चौराहे के पास बनवाकर अपनी पत्नी विजयश्री के साथ वहीं पर रहते हैं एवं बहुत ही कम घटना स्थल वाले मकान पर आते–जाते हैं। जबकि चाचा तेजबहादुर सिंह अलग घर में रहते हैं एवं घटना वाले दिन भी वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। मृतिका आस्था सिंह हमेशा ही अपने ससुराल ग्राम कीर्तीखेड़ा थाना ललौली जनपद फतेहपुर में ही रही है। ये सारी बातें जानते हुये भी वादी मुकदमा योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के द्वारा आरोपी तेजबहादुर सिंह से पैसे की मांग करने के लिये अपनी बड़ी बहन के ससुर झल्ली सिंह के माध्यम से संदेश भी भिजवाया था, जिसमें यह बात हुयी है कि तेजबहादुर सिंह व उनकी पत्नी विजयश्री का भी नाम अंकित कराया जायेगा, किन्तु बाद में विवेचना में पुलिस के द्वारा उनका नाम हटा दिया जायेगा। इस बात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में आडियो रिकार्डिंग प्राप्त हुयी है। झल्ली सिंह के द्वारा भी यह बात कही गयी है कि आडियो में बोल रहा व्यक्ति मैं ही हूँ। जब तेजबहादुर सिंह के द्वारा पैसों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो मुन्ना सिंह के

द्वारा तेजबहादुर सिंह की सामाजिक छवि खराब करने की नियत से मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। विवेचक द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 04.06.2023 को मृतिका आस्था सिंह अपने पति राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स के साथ अपनी बड़ी बहन दीक्षा सिंह के देवर अभय सिंह के सगाई में कौशाम्बी गयी हुयी थी एवं उक्त कार्यक्रम के बाद अपनी बहन दीक्षा सिंह एवं भाई व चालक राहुल यादव के साथ रात्रि के करीब 12.15 बजे अपनी बहन दीक्षा सिंह के घर पर आयी थी एवं वहां पर करीब 20 मिनट रूकने के बाद वापस अपने पति प्रिन्स के साथ दुर्गविजय सिंह के मकान महिला डिग्री कालेज के पास चली गयी थी। जब मृतिका दुर्गविजय सिंह के घर पर गयी तो उस समय भी तेजबहादुर सिंह व उनकी पत्नी विजयश्री दोनों लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि अपने मकान आवंतीबाई चौराहा में मौजूद थे। उक्त बातों का समर्थन पी०डब्ल्यू० 1 व पी०डब्ल्यू० 2 के बयान से भी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने कथन में अभिकथित किया है कि तेजबहादुर सिंह व विजयश्री मृतिका की बड़ी बहन के देवर अभय सिंह के तिलक में नहीं गये थे और न ही उस दिन तेजबहादुर व विजयश्री की मृतिका के साथ मुलाकात की कोई साक्ष्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात का भी उल्लेख किया जाना अतिआवश्यक है कि वादी के द्वारा पूर्व विवेचकों के विवेचना से संतुष्ट न होने पर सी०बी०सी०आई०डी० से जांच करायी गयी, जिस पर सी०बी०सी० आई०डी० के विवेचक के द्वारा मृतिका को सर्वप्रथम सदर अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराने के समय चिकित्सक डा० रवि आनन्द सर्जन का बयान अंकित किया गया है, जिनके द्वारा मृतिका का गम्भीर एवं बेहोशी की दशा में इलाज किया गया। चिकित्सक ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि "मैं दिनांक 05.06.2023 को रात्रि में जिला चिकित्सालय फतेहपुर में नियुक्त था उस दिन रात में समय 02.09 ए०एम० पर मैं इमरजेन्सी ड्यूटी डा० ए०एम०ओ० था कि उसी समय एक मरीज आस्था सिंह पत्नी राघवेन्द्र सिंह आई०टी० आई० रोड थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर को उम्र करीब 25 वर्ष को उसका पति प्रिन्स लेकर आया, जिनकी हालत बहुत नाजुक थी, जिसका इलाज इन्जेक्शन से करने के बाद भी बेहोशी हालत से वापस नहीं आ पायी, जिसके पश्चात् मैंने कानपुर मेडिकल कालेज के लिये रिफर कर दिया था। इसी बीच मजरूबा जिसने जहरीला पदार्थ खाने की सम्भावना थी उसके पिता आ गये थे, जिन्होंने रिफर कागज रिसीव किया था। नाडी मित्र नहीं रही थी, पल्स रेट नहीं मिल रहा था। मेरे सामने आस्था कुछ बोल नहीं रही थी जो बेहोशी हालत में थी, जिस कारण उसका मृत्यु पूर्व बयान न लिया जा सका न कराया जा सका था। अस्पताल में कोई झांग की उल्टी नहीं हुयी थी, जिस कारण नमूना के लिये नहीं लिया गया था।" उक्त कथन जो सी०बी०सी०आई०डी० के विवेचक द्वारा अंकित किया गया है से एकदम स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू० 1 के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह कहा है कि जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसकी बेटी आस्था सिंह ने बताया कि उसे तेजबहादुर सिंह व विजयश्री तथा राघवेन्द्र सिंह ने कोई बदबूदार पदार्थ खिला दिया है स्वमेव

असत्य सिद्ध हो जाता है। सी०बी०सी०आई०डी० के विवेचक के द्वारा एस०सी०डी० पर्चा नं० 12 में यह भी उल्लिखित किया गया है कि मोबाइल नं० 8795779578 जो मृतिका आस्था सिंह का है कि सी०डी०आर० का अवलोकन किया गया तो शादी के बाद से घटना दिनांक 05.06.2023 तक की लोकेशन। शादी के पहले चुरियानी फतेहपुर एवं शादी के बाद से अधिकतर लोकेशन कीर्तीखेड़ा ससुराल की पायी गयी है। यह भी उल्लिखित है कि मृतिका आस्था सिंह व अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह के मोबाइल का लोकेशन घटनास्थल मकान दुर्गविजय सिंह महिला डिग्री कालेज सिविल लाइन फतेहपुर में है। तेजबहादुर सिंह व विजयश्री के मोबाइल के सी०डी०आर० के अनुसार घटनास्थल पर लोकेशन नहीं पायी गयी है। इस तरह से विभिन्न विवेचकों द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य के संकलन से किसी तरह की मुकदमा उपरोक्त के अपराध में तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह की संलिप्तता किसी भी दशा में नहीं पायी गयी। जबकि विवेचकों द्वारा बहुत ही गम्भीरता एवं गहनता पूर्वक विवेचना किये जाने की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है यहां पर एक प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है कि जैसा कि पी०डब्ल्यू० 1 व पी०डब्ल्यू० 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन में यह अभिकथित किया है कि उनको 05.06.2023 को ही पता चल गया था कि मृतिका को कोई बदबूदार पदार्थ खिलाकर मार डाला गया है। उस दिन मात्र सामान्य प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा दिया गया किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया। पंचायतनामा से लगाकर अन्तिम संस्कार तक दोनों परिवार के लोग व रिश्तेदार शामिल रहे। लम्बे अंतराल के पश्चात् पैसे की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 15.06.2023 को तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह व विजयश्री को सम्मलित करने के लिये पूर्ण रूप से गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी०डब्ल्यू० 1 ने स्वयं यह अपने बयान में अभिकथित किया है कि तेजबहादुर सिंह व विजयश्री का जो मकान आवंतीबाई चौराहे पर बना है उसका गृह प्रवेश 02.12.2022 के हुआ था, जिसमें वह स्वयं सम्मलित हुआ था। इस आधार पर भी घटनास्थल वाले मकान जो दुर्गविजय सिंह का है, में घटना वाले दिन उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है। तेजबहादुर सिंह व विजयश्री का नाम मात्र राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण व नाजायज मांग पूरी न होने की वजह से अंकित कराया गया है। अभियोजन के द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। वादी मुकमदा द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तावित अभियुक्तों को सुना जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु आपत्तिकर्ता रघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स के विद्वान अधिवक्ता श्री बालराज उमराव द्वारा यह तर्क दिया गया कि लिखित आपत्ति में वर्णित तथ्यों तथा विवेचना के उपरान्त प्रस्तावित अभियुक्त तेजबहादुर सिंह व विजयश्री का नाम दौरान विवेचना विवेचक

इस मामले में तीनों विवेचक द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तों का नाम निकाल दिया गया है। न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र मात्र विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, इसलिये राघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिन्स द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थना पत्र 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि प्रार्थी योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह गौतम के द्वारा दी गयी तहरीर पुलिस के अधिकारियों के समक्ष बार–बार प्रयास करने के पश्चात कई दिनों बाद पंजीकृत की गयी। दिनांक 15.06.2023 को दर्ज एफ०आई०आर० अभियुक्त रघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस के अलावा रघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस के चाचा तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह तथा चाची श्रीमती विजयश्री भी अभियुक्त के रूप में अंकित है।

विवेचनाकाल के पूर्व से ही इन तीनों ने विवचना को अपने प्रभाव में ले लिया, जिस पर विवेचक और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर भी सुलह कर लेने का दबाव डालते रहे। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायतें दी तथा सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष भी कई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2023 व दिनांक 15.09.2023 को योजित कर मामले की विवेचना की मानीटरिंग करने व आवश्यकतानुसार समुचित विधि अनुरूप निर्देश की याचना की थी। दिनांक 31.07.2023 तक मामले की प्रथम विवेचक ने विवेचना की। प्रथम विवेचक ने अपनी विवेचना के अन्तिम पर्चे में प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त प्राथमिकी क्रमशः 2 व 3 तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह तथा श्रीमती विजयश्री के विरूद्ध नामजदगी गलत पाया जाना अंकित करते हुये विवेचना से उनके नाम पृथक कर दिया। इसके पश्चात विवेचक सी०ओ० बिन्दकी ने भी सत्यता की खोज न कर उसी भांति स्वविवेचना काल विवेचनोपरान्त मात्र एक अभियुक्त रघवेन्द्र सिंह उर्फ प्रिंस के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। साथ ही अंतिम रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित की गयी।

मामले को सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने पर आरोप विरचित किये गये और अभियोजन पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में योगेन्द्र पाल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह गौतम जो मृतिका का पिता है व मृतिका की बड़ी बहन दीक्षा को परीक्षित कराया। दोनों साक्षियों ने न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में प्राथमिकी में नामित तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग व मृतिका आस्था सिंह को प्रताडित किये जाने सहित उसे विषैला पदार्थ खिलाकर मृत्यु कारित किये जाने की स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है। इस प्रकार तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध समन में अभियोजन साक्ष्य से होता है। अतः उनके द्वारा अभियुक्तगण तेजबहादुर सिंह उर्फ रामबहादुर सिंह तथा श्रीमती विजयश्री को अभियुक्त रघवेन्द्र सिंह के साथ आरोपित धाराओं में विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त रघवेन्द्र सिंह के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी।

अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है, जिससे उनकी दोषसिद्ध की जा सकती है तब तो उनको विचारण हेतु तलब किया जाय अन्यथा नहीं।

प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम विवेचना सी०ओ० सी०टी० के द्वारा की गयी, जैसा कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये स्वीकार किया गया है। उक्त विवेचना सी०ओ० बिन्दकी को स्थानांतरित की गयी। उससे भी संतुष्ट न होकर मामले की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पी०डब्ल्यू० 1 योगेन्द्र सिंह व पी०डब्ल्यू० 2 दीक्षा सिंह के बयान का अवलोकन किया, जिसमें उसने बयान देते हुये कहा है कि "4 जून 2023 की मेरी बड़ी बेटी के देवर की गोद भराई का कार्यक्रम कौशाम्बी में मैं भी उस प्रोग्राम में परिवार सहित शामिल हुये थे। उस कार्यक्रम में मेरी बेटी व राघवेन्द्र ड्राइवर के साथ आये थे। उस कार्यक्रम में राघवेन्द्र व मेरी बेटी में कुछ कहा-सुनी हुई रात में में हम लोग वहां से वापस आ गये। रात 12.30 बजे तक वापस आ गये थे। मुख्य परीक्षा पेज नम्बर 3 में कहा है।

पेज नम्बर 4 पर इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसी रात 1.33 मिनट पर आस्था ने बड़ी बहन दीक्षा को फोन किया बात नहीं हो पायी फोन कट गया था, फिर दीक्षा ने फोन मिलाया बात हुई। दीक्षा ने फोन मिलाया और विजयश्री ने कहा कि आस्था को अस्पताल लेकर आइये। ये सारी जानकारी मेरी बेटी दीक्षा ने बताया था। पेज नम्बर 5 में कहा है कि जब मैं पहुंचा तो मेरी बेटी के मुंह से झांक निकल रहा था, जिन्दा थी।

पी०डब्ल्यू० 2 दीक्षा ने मुख्य परीक्षा की पेज नम्बर 2 में कहा है कि ये लोग घर चले गये इसके बाद डेढ बजे आस्था का फोन मेरे मोबाइल पर आया वह रो रही थी बात नहीं हो पायी फोन कट गया। दुबारा फोन आया कहा कि पापा को बुला दो, क्योंकि रघवेन्द्र विजयश्री व चाचा तेजबहादुर ने मुझे कुछ बदबूदार पदार्थ खिला दिया है मेरा जी खबरा रहा है पापा को बुला दो मैं मर जाऊंगी।

इन दोनों साक्ष्यिों के बयान में विरोधाभाष है। पी०डब्ल्यू० 1 साक्षी कहता है कि आस्था से एक बार बात हुई और पी०डब्ल्यू० 2 साक्षी दोबारा आस्था से तेजबहुादर से बात होने की बात बताती है। इसके अतिरिक्त सी०आई०डी० के विवेचक द्वारा मृतका आस्था सिंह के पहली बार देखने वाले डा० रवि आनन्द सर्जन का बयान अंकित किया है, जिसमें उसमे कहा है कि गम्भीर एवं बेहोशी की हालत में इलाज किया और कहा है कि दिनांक 05.06.2023 को मैं इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। आस्था सिंह की हालत बहुत नाजुक थी वह बेहोशी हालत में थी। मैंने उसे मेडिकल कालेज के लिये रिफर कर दिया था और इस विवेचक द्वारा सी०डी०आर० अभियुक्तगण प्रस्तावित की निकाली गयी थी, जिन्हें अलग-अलग लोकेशन पर पाया गया।

प्रस्तावित अभियुक्तगण मृतका के चचिया सास व ससुर हैं।

ऐसी स्थिति में जबकि परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 व पी०डब्ल्यू० 2 ने जहर खिलाते हुये नहीं देखा और डा० के बयान के अनुसार मृतका बेहोशी की हालत में रिफर की गयी और सी०डी०आर० से लोकेनशन अलग–अलग पायी गयी। इस स्तर पर पत्रावली में ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे प्रस्तावित अभियुक्तगण की दोषसिद्ध की जा सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थन पत्र 319 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 319 दं०प्रसं० निरस्त किया जाता है। पत्रावाली शेष साक्ष्य दिनांक 04.11.2025 को पेश हो। गवाहों को समन जारी हो।

(अजय सिंह प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)/
न्यायालय संख्या–02, फतेहपुर।